

रूप-पत्र 15 (नियम 55 देखिये)		रूप-पत्र 15 (उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का नियम 55 देखिये)	
निबन्धन (रजिस्ट्री) संख्या.....		उत्तर प्रदेश व्यापार- कर ऐक्ट 1948(1948 की ऐक्ट संख्या 15) की धारा 8-क के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्री संख्या..... मैं,.....हल्का (सर्किल/उप-हल्का (सब-सर्किल) का व्यापार कर अधिकारी/व्यापार कर अधिकारी श्रेणी (दो) एतद् द्वारा श्री/सर्वश्री.....को..... कर निर्धारण वर्ष के लिये निबद्ध((रजिस्टर) करता हूँ। यह रजिस्ट्री, जब तक कि उसका नवीकरण न करा लिया जाय, 31 मार्च, 19.....तक प्रभावी रहेगी। व्यापार का मुख्य स्थान..... में अवस्थित है और व्यापार.....नाम तथा उपाधि (Style) से किया जाता है। इसकी निम्नलिखित शाखायें हैं:- 1..... 2..... 3..... व्यापार कर अधिकारी, हल्का (सर्किल) व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 उप-हल्का (सब सर्किल) मुहर तारीख.....	
नवीकरण के ब्योरे			
वर्ष जिसके लिए नवीकरण हुआ हो	प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नवीकरण की तारीख	व्यापार कर अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4